>

Title: Need to follow the rules of reservation for appointment of SCs/STs in jobs of Supreme Court and High Courts.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां के 16 जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई है, जो सभी अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने इन जजों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने इन जजों को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें न तो सेवानिवृत्ति का कारण भेजा गया और न ही इन सभी जजों का सर्विस रिकार्ड भेजा गया।

मैं बताना चाहूंगा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी व डी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था का न होना है। देश के कुल 18 उच्च न्यायालयों में से 16 उच्च न्यायालय अलग-अलग तरीके से स्वयं के बनाए आरक्षण नियमों का पालन करते हैं। बाकी बचे दो उच्च न्यायालय दिल्ली और मुम्बई जो देश के सर्व प्रमुख हैं, ने पिछले 61 वर्षों से आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया है। आरक्षण को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में असमानता व्याप्त है, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस विषय को मुख्य न्यायाधीशों की कॉफ्रेंस में नहीं उठाया गया और न ही विधि एवे न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन सभी से हटकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी उच्च न्यायालयों के कर्मियों एवं जजों को दिए जाने वाला मानदेय भारत के कंसोलिडेटेड फंड से भुगतान किया जाता है। अतः सभी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

मैं माननीय न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण दिलवाने का कष्ट करें।